प्रेस विज्ञप्ति

27/03/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने जवाद अहमद सिद्दीकी (मेसर्स टार्बिया एजुकेशन फाउंडेशन के निदेशक एवं प्रमुख शेयरधारक) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत चल रही जांच के संबंध में दिनांक 24.03.2026 को गिरफ्तार किया है।

अब तक की गई जांच से यह ज्ञात हुआ है कि भूमि के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे तथा उनका उपयोग किया गया था, और यह भी सामने आया है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर खसरा संख्या 792, मदनपुर खादर गांव, नई दिल्ली स्थित 1.146 एकड़ की भूमि के अधिग्रहण हेतु ऐसे जाली दस्तावेजों का निर्माण एवं निष्पादन किया था, जिसका वर्तमान अनुमानित मूल्य लगभग रुपये 45 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों में दर्शाई गई प्रतिफल राशि 75 लाख रुपये है, जबकि वास्तविक कुर्क राशि इससे कहीं अधिक पाई गई है। संपूर्ण धन प्रवाह का पता लगाने तथा अन्य लाभार्थियों एवं उससे अर्जित संपत्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

माननीय विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष अभियुक्त को दिनांक 25.03.2026 को पेश किया गया तथा न्यायालय ने उसे दिनांक 04.04.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।